Continuation Note Sheet

स्थगन जारी रहेगा तब तक नगर विकास न्यास द्वारा संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता। धारा 177 आर.टी.ए. का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं अपीतु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाये एवं राजस्व जमा करवाये कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। इस आधार पर जबकि भूमि संपरिवर्तन का प्रार्थना पत्र सक्षम प्राधिकारी के यहां लम्बित है, इस भूमि को रकबा राज किया जाना एक कठोर कार्यवाही होगी। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि अप्रार्थी 90 दिवस के भीतर प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात् तहसीलदार पुनः इस स्थगन प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा। तहसीलदार श्रीगंगानगर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्णय दिनांक से 90 दिवस पश्चात् यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नतगत आराजी के भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं तो पुनः स्थगन प्रार्थना पत्र को रिस्टोर करवा कर आगमी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को प्रेषित की जावे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिंनाक 01.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2025.02.25 13:31:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner